रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 मई, 1985/4 ज्येष्ठ, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 12 अप्रैल, 1985

संख्या एल०एस०जी०-ए०(3) 4/79.—अधिसूचित क्षेत्र समिति मैहतपुर वसदेहड़ा, ऊना जिला द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 9) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित पुष्टि के पश्चात् सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित

की जाती हैं और यह अधिसूचित क्षेत्र समिति मैहतपुर वसदेहड़ा, जिला ऊना के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी :—

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 30 के अधीन कारबार उप-विधियां

1. अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामूली अधिवेशन ऐसी तारीख और ऐसे समय और स्थान पर होंगे जैसा कि समय-समय पर समिति या प्रधान द्वारा नियत किया जाये। प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान या यदि तब तक प्रधान/उप-प्रधान का चयन या नियुक्ति नहीं की गई है, तो सचिव किसी भी समय या स्थान पर मामूली या विशष अधिवेशन बुला सकेगा।

2. (i) जब कोई अधिवेशन बुलाया जाने वाला हो तो उसका नोटिस प्रत्येक सदस्य को मामूली तौर पर अधिवेशन की तारीख से स्पष्टतः तीन दिन पूर्व और आपातकाल की स्थिति म अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व दिया जायगा; परन्तु यदि अधिवेशन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 19 के अधीन प्रधान या उप-प्रधान का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए बुलाया जा रहा है तो कम से कम दो स्पष्ट दिनों का नोटिस दी जाएगी और उप-विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अधिवेशन में इस प्रकार का निर्वाचन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसी नोटिस नहीं की गई हो।

(ii) ऐसी प्रत्येक नोटिस में अधिवेशन के लिए नियत समय, तारीख और स्थान का विवरण दिया जाएगा और प्रधान, उप-प्रधान या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसके साथ सचिव द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित कारबार की सूची जिसे इसमें इसके पश्चात् "कार्य सूची" कहा गया है जिस पर अधिवेशन में कार्यवाही की जायेगी, संलग्न की जायेगी।

(iii) यदि किसी अधिवेशन को स्थगित करना आवश्यक हो तो अधिवेशन का अध्यक्ष अधिवेशन के स्थान पर उस स्थान, समय और तारीख की नोटिस जिसके लिए अधिवेशन स्थगित की गई हो, देगा और उसके नोटिस यथा समय शीघ्र ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो स्थगित अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, भेजेगा :

परन्तु आपातकाल में सभी सदस्यों को, सम्यक रूप से नोटिस देकर प्रधान अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान के लिए अधिवेशन के लिए नियत स्थान, तारीख और समय को परिवर्तन करना विधिपूर्ण होगा।

3. (क) कार्य सेवा में ऐसा प्रत्येक विषय जिसे कोई सदस्य अधिवेशन के समक्ष रखना चाहता है सम्मिलित होगा यदि ऐसे सदस्य और समर्थक द्वारा प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि समिति के सचिव को समिति कार्यालय में अधिवेशन से कम से कम स्पष्ट सात दिन पूर्व दे दी गई हो :

परन्तु प्रधान अभिलिखित कारणों से, किसी विषय की कार्यसूची में रखने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसकी राय में विषय, ऐसा है जिससे समिति सम्बद्ध नहीं है या अन्यथा समिति के अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए उपयुक्त नहीं है :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश सरकार या आयुक्त या उपायुक्त के आदेश के अनुपालन में या उस समय वास्तव में सेवा कर रहे सदस्यों की कुल संख्या के आधे द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आवेदन के सिवाय, कोई भी प्रस्ताव कार्यसूची में नहीं रखा जाएगा जिसमें सारभूत रूप से वही प्रश्न उठाया गया हो जिस पर समिति ने पूर्ववर्ती छः मास के भीतर विनिश्चय किया है।

(ख) प्रधान द्वारा किसी विषय की कार्यसूची में रखने की अनुज्ञा न देने से व्यथित कोई सदस्य उपायुक्त को अपील कर सकेगा जिसका यह विनिश्चय कि मामला इस प्रकार रखा जाये या नहीं, अन्तिम होगा।

(ग) अधिवेशन की कार्यसूची के सभी मामले की फाइलें अधिवेशन बुलाने की नोटिस भेजने के तुरन्त बाद सचिव के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

4. समिति के किसी अधिवेशन में तब तक किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस समय वस्तुत: सेवारत सदस्यों के 50% से अधिक या उनका बहुमत उपस्थित न हो :

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष अपविधि 2 के खण्ड (iii) के उपबन्धों के अनुसार अधिवेशन को पश्चातवर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा । ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को कारबार का निपटारा किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं ।

5. प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही अध्यक्ष के इस प्रस्ताव से प्रारम्भ होगी कि पूर्ववर्ती अधिवेशन के कार्यवृत की पुष्टि की जाए । ऐसा कार्यवृत साधारणतय: पढ़ा गया माना जाएगा किन्तु यदि किसी कारण से उन्हें सदस्यों में पहले परिचालित नहीं किया गया हो तो उन पर विचार करने से पूर्व उन्हें पढ़ा जाएगा और कोई सदस्य जो पूर्ववर्ती अधिवेशन में उपस्थित रहा हो इस आधार पर संशोधन प्रस्ताव पेश कर के कि किसी विषय को सही-सही अभिलिखित या अभिव्यक्त किया गया है, कार्यवृत की पुष्ठि किए जाने पर आक्षेप कर सकेगा ।

6. उसके बाद कार्यसूची में दी गई मदों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें नोटिस में दी गई हैं किन्तु अध्यक्ष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से ऐसे क्रम में फेरबदल कर सकेगा या कोई विषय जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है अधिवेशन के समक्ष ला सकेगा ।

7. अध्यक्ष, व्यवस्था या प्रक्रिया के सभी प्रश्नों को विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा। जब कभी वह बोलने के लिए खड़ा होगा तो बोलने वाला सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लगा ।

8. यदि एक समय में एक से अधिक सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाएं तो अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेगा जिसे बोलना हो ।

9. जब सदस्य को बोलना हो तो खड़ा होगा, और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा और व्यवस्था के प्रश्न या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को छोड़कर, बोलने वाले सदस्य को अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा ।

10. कोई भी भाषण पढ़ा नहीं जायेगा ।

11. जहां तक सम्भव हो और विचाराधीन विषय से संगत हो, कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के बारे में व्यक्तिगत या आक्षेपणीय टिप्पणी नहीं करेगा और इस उपविधि के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा ।

12. व्यवस्था का प्रश्न उठाने या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए इच्छुक सदस्य, खड़ा होगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा । उस समय बोल रहा सदस्य बोलना बन्द कर देगा और उस समय तक बैठा रहेगा जब तक कि अध्यक्ष उठाए गए प्रश्न पर विनिश्चय नहीं दे देता है; परन्तु अध्यक्ष कथित प्रश्न पर बोलने के लिए आदेशित सदस्य सहित किसी दूसरे सदस्य को बोलने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

13. यदि अधिवेशन किसी विषय पर अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने से इन्कार करती है तो वह उसे तुरन्त स्थगित कर सकेगा और जब उसने इस या किसी अन्य आधार पर अधिवेशन को स्थगित घोषित कर दिया हो तब अधिवेशन की पश्चातवर्ती कार्यवाही या उसका शेष भाग अवैध होगा और कार्यवृत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

14. अध्यक्ष उस सदस्य के आचरण की ओर अधिवेशन का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात् जो लगातार ऐसे विषय पर कथन कर रहा हो या विचार प्रकट कर रहा हो जो अध्यक्ष की राय म असंगत हो या अपने

ही विचारों या दूसरे सदस्यों के विचारों को दोहरा रहा हो, उसे अपना भाषण बन्द करन के लिए निदेश दे सकेगा ।

15. अध्यक्ष किसी ऐसे सदस्य को अधिवेशन से तुरन्त हट जाने का निदेश दे सकेगा जिसका आचरण उसकी राय में घोर विशृंखल है और जिस सदस्य को इस प्रकार हट जाने के लिए आदेश दिया जाए तुरन्त ऐसा करेगा और यदि उसे अध्यक्ष द्वारा पुनः नहीं बुलाया जाता है तो वह अधिवेशन के शेष भाग में अनुपस्थित रहेगा। अध्यक्ष इस उप-विधि के अधीन हट जाने के किसी आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी सदस्य को संक्षिप्ततः हटवा सकेगा ।

16. यदि कोई सदस्य कार्यसूची के किसी विषय पर कोई प्रस्ताव रखना चाहता है तो वह अपने प्रस्ताव को पढ़ेगा और यदि तत्पश्चात् कोई अन्य सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन कर देता है तो प्रस्ताव अधिवेशन के समक्ष रखा गया समझा जायेगा, और कि प्रस्ताव रखते वाला सदस्य, यदि वह ऐसा चाहे, प्रस्ताव के पक्ष में बोलेगा, और उसके बाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाला सदस्य यदि वह इस प्रक्रम पर बोलना चाहे, तो बोलेगा, और यदि पेश किए गए प्रस्ताव का कोई अन्य सदस्य समर्थन नहीं करता है तो ऐसा प्रस्ताव अधिवेशन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया समझा जायेगा।

17. एक सदस्य प्रत्येक प्रस्ताव पर केवल एक बार ही बोल सकेगा परन्तु मूल प्रस्ताव रखने वाला या समर्थन करने वाला सदस्य विचार विमर्श की समाप्ति पर उत्तर दे सकेगा ; परन्तु यह और भी कि अधिवेशन का अध्यक्ष ऐसे किसी सदस्य को जो पहले बोल चुका है, संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

18. मूल प्रस्ताव के प्रस्तावित और समर्थित किए जाने और पेशकर्ता और समर्थनकर्ता के उसके पक्ष में, यदि वे ऐसा चाहे बोलने के पश्चात्, कोई भी सदस्य संशोधन कर प्रस्ताव पेश कर सकेगा और ऐसे संशोधन पर उपविधि 16 और 17 के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे मानो यह मूल प्रस्ताव हो ।

19. एक ही समय पर अधिवेशन के समक्ष चाहे जितने संशोधन हो सकते हैं किन्तु उन पर उससे विपरीत क्रम में मतदान करवाया जायेगा जिसमें उन्हें पेश किया गया है, और जब सभी संशोधनों का निपटारा हो जाए तो यथास्थिति, मूल रूप में पेश किए गए या संशोधित मूल प्रस्ताव पर मतदान कराया जायेगा ।

20. उप-विधि 17 में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य जो मूल प्रस्ताव पर पहले ही बोल चुका है उसके संशोधन पर भी बोल सकेगा, परन्तु इस प्रकार बोलने में वह अपने आपको संशोधन द्वारा पुरःस्थापित नए विषय तक ही सीमित रखेगा ।

21. जब किसी प्रस्ताव या संशोधन पर मतदान करना हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव या संशोधन को पढ़ेगा और उनसे जो प्रस्ताव के पक्ष में हों अपनी सहमति प्रकट करने का और जो प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं अपनी असहमति प्रकट करने का अनुरोध करेगा और उसके बाद घोषणा करेगा कि प्रस्ताव पास हुआ है या नहीं और इस प्रकार की घोषणा कार्यवाही के कार्यवृत में उस प्रभावली प्रविष्टि करने के लिए पर्याप्त प्रमाण होगी :

परन्तु यदि ज्यों ही ऐसी घोषणा की जाती है, कोई उपस्थित सदस्य मतदान की मांग करता है तो, अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित मतदान समिति का संकल्प समझा जायेगा ।

22. कोई भी प्रस्ताव या संशोधन अधिवेशन की सम्मति से ही वापस लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

23. सरकार का कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो समिति का सदस्य नहीं है, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सम्मति से कार्यसूची की किसी मद पर अधिवेशन को सम्बोधित कर सकेगा।

24. समिति के सभी अधिवेशन समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के लिए और अध्यक्षन के विवेकाधी जनता के लिए खुले होंगे :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी संवाददाता या जनता के सदस्य से हट जाने की अपेक्षा कर सकेगा यदि उसका यह विचार हो कि इस तरह हट जाना लोकहित में वांछनीय है और अधिवेशन में उपस्थित कोई संवाददाता या जनता का सदस्य किसी प्रकार का शोर नहीं करेगा या किसी भी तरह से समिति की कार्यवाहियों या उसके किसी सदस्य के बारे में किसी प्रकार का अनुमोदन या अननुमोदन अभिव्यक्त नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा शोर करता है या किसी अन्य प्रकार से अधिवेशन के कारबार में बाधा डालता है तो अध्यक्ष उस भवन से जिसमें अधिवेशन हो रहा है, उसे संक्षिप्ततः हटवा सकेगा।

25. उप-समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य जिसे विशेष कर्त्तव्य के पालन का भार सौंपा गया है, ऐसी उप-समिति की कार्रवाई या ऐसे विशेष कर्त्तव्य से सम्बन्धित कागजातों का कार्यालय के समय के दौरान सचिव के कार्यालय में निरीक्षण कर सकेगा, और कोई अन्य सदस्य किसी अधिवेशन की कार्यसूची से जिस की सूचना दे दी गई हो सम्बन्धित कागजातों का प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान की अनुमति से ऐसे किसी अन्य दस्तावेज, रजिस्टर या अभिलेख का जिस के बारे में उसने निरीक्षण के लिए लिखित आवेदन दिया है, सचिव के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण कर सकेगा ।

26. उप-प्रधान की पदावधि तीन वर्ष या सदस्य के रूप में उसकी पदावधि का शेष भाग, जो भी कम हो, होगी ।

भाग–II–उप -समिति

1. निम्नलिखित उप-समितियां होंगी, अर्थात्:—

(क) वित्त, चुंगी और कराधान उप-समिति,
(ख) संकर्म, भवन और नगर विकास उप-समिति,
(ग) चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा उप-समिति,
(घ) चयन उप-समिति ।

2. वित्त, चुंगी और कराधान उप-समिति, समिति के प्रधान, जो उप-समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और समिति द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों से मिलकर बनेगी और समिति का सचिव इस उप-समिति का पदेन सचिव होगा ।

3. संकर्म, भवन और नगर विकास उप-समिति, समिति द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी और समिति का सचिव इस उप-समिति का पदेन सचिव होगा ।

4. चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा उप-समिति, समिति द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी और समिति का सचिव इस उप-समिति का पदेन सचिव होगा ।

5. चयन उप-समिति, समिति द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी और समिति का सचिव इस उप-समिति का पदेन सचिव होगा ।

6. उप-समिति के सदस्य, नई समिति के गठित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, समिति के साधारण अधिवेशन में निर्वाचित किए जायेंगे और उनके निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

7. उप-विधि 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप-समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को उप-समिति का अध्यक्ष निर्वाचित करगे और इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उप-समिति के सभी अधिवेशनों में अध्यक्षता

करेगा, परन्तु यदि वह किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपस्थित सदस्य, अपने में से एक सदस्य को उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे । उप-समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन, उप-समिति के प्रथम अधिवेशन में किया जायेगा और प्रधान या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

8. प्रत्येक उप-समिति का अधिवेशन एक मास में कम से कम एक बार होगा और प्रत्येक अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची सहित जिस पर अधिवेशन में विचार किया जाना है, अध्यक्ष के आदेशों के अधीन उप-समिति के सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी ।

9. किसी भी अधिवेशन में कारबार का सम्व्यवहार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उप-समिति के दो-तिहाई सदस्य उपस्थित न हों ।

10. प्रत्येक उप-समिति की कार्यवाही का संचालन जहां तक हो सके, समिति की प्रक्रिया का विनियमन करने वाली उप-विधि के अनुसार किया जायेगा ।

11. इन उप-विधियों की कोई बात किसी उप-समिति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसके प्रयोग या पालन का प्रत्यायोजन समिति द्वारा किसी अधिकारी को किया गया है या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी में यह अपेक्षा करने के लिए किया गया है कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति और कृत्य से सम्बन्धित किसी मामले की रिपोर्ट उप-समिति को प्रस्तुत की जायेगी ।

12. उप-समिति में किसी रिक्ति के मामले में, समिति, उप-समिति की शेष अवधि के लिए दूसरे सदस्य को निर्वाचित कर सकेगी ।

13. समिति का विनिश्चय उन मामलों के सिवाय, जिनमें आदेश पारित करने की शक्ति सम्यक रूप से उसे प्रतियोजित की गई है, सिफारिशों के रूप में होगा ।

14. समिति किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिए विशेष उप-समिति गठित कर सकेगी ।

15. विशेष उप-समिति के मामले में गणपूर्ति इसके सदस्यों का आधा होगी । गणपूर्ति पूरी न होने के कारण ऐसी उप-समिति के किसी अधिवेशन को स्थगित किए जाने की दशा में, वह काम काज जो अधिवेशन के समक्ष लाया जाता यदि गणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष संव्यवहारित किया जायेगा, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं ।

16. उप-नियम 11, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वित्त, चुंगी और कराधान उप-समिति, समिति के वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी, और करों के अधिकरण, निर्धारण और संग्रहण, समिति की या इसके द्वारा प्रबंधित सरकार को स्थावर सम्पति को विक्री या पट्टे पर दिए जाने, उधार लेने, नगरपालिका समिति संकर्म की स्थापना से भिन्न स्थापना, शिक्षा, चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य विभाग, विशष विभागीय लेखाओं से भिन्न लेखाओं से सम्बन्धित सभी मामले उसको प्रस्तुत किए जायेंगे ।

17. समिति के संकर्म और समिति के इंजीनियर के प्रभाराधीन सेवाओं, समिति के संकर्म विभाग की स्थापना, समिति के इंजीनियर के प्रभाराधीन अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में ग्रहण किए गए स्थापन, भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र, बिना मंजूरी या मंजूरी के उल्लंघन में भवनों के निर्माण या पुनः निर्माण के सभी मामले, मार्ग अभिन्यास या बनाने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र, बिना मंजूरी या मंजूरी के उल्लंघन के मार्गों के अभिन्यास या बनाने के सभी मामले, मार्गों नलनालियों, जल निकास, जल स्रोतों पर या उनके ऊपर अधिक्रमण

से सम्बन्धित सभी मामले, नगर विकास से सम्बन्धित सभी मामलों से सम्बन्धित सभी विषय, संकर्म, भवन और नगर विकास उप-समिति को प्रस्तुत किए जायेंगे ।

18. अस्पतालों, औषधालयों, जन्म-मरण सांख्यिकी के रजिस्ट्रीकरण, सफाई, महामारी रोग, खाद्यान्न नियन्त्रण, आपूर्ति बाजारों, वधशालाओं, गोशाला, अस्तबल, स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार के अधीन लोक स्वास्थ्य और सेवाओं से सम्बन्धित सभी मामले और ऐसे विषयों की स्थापना के सम्बन्ध में ग्रहण स्थापन, विद्यालयों, अध्ययन कक्षों, पुस्तकालयों और उनसे सम्बन्धित सभी मामले चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा उप-समिति को प्रस्तुत किए जायेंगे ।

19. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 37 और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और दण्ड से सम्बन्धित मामले चयन उप-समिति को प्रस्तुत किए जायेंगे । उप-समिति की सिफारिशें, विनिश्चय नगरपालिका समिति के अनुमोदन के अधीन होंगे ।

20. सभी उप-समितियां, समिति की ही तरह पदाधिकारियों से रिपोर्ट और अभिलेख मंगवाने के लिए अधिकृत होंगी ।

21. (i) उप-समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित, उप-समिति के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही, उप-समिति के आगामी अधिवेशन की कार्यसूची में, सम्मिलित की जायेंगी।

(ii) जब किसी उप-समिति की कार्यवाहियों पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा हो, तब किसी भी ऐसी मद पर जिस के बारे में उप-समिति ने समिति द्वारा उसे प्रत्योजित शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए हों, या ऐसे मद पर जिसके बारे में उप-समिति ने अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी हो या अन्यथा आदेश पारित करना या सिफारिश करना स्थगित कर दिया हो, विचारविमर्श करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी । ऐसी मद केवल "पढ़ी गई" अभिलिखित की जायेगी परन्तु कोई भी सदस्य उप-समिति के किसी भी आदेश को प्रश्नगत कर सकेगा और यदि समिति का यह विचार हो कि ऐसा आदेश अधिकारातीत था तो यह ऐसे आदेशों की पुष्टि, उपान्तरित या रद्द कर सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य का यह विचार हो कि उप-समिति ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसके बारे में इसने आदेश पारित नहीं किया है या सिफारिशें नहीं की हैं, असम्यक रूप से विनिश्चिय से विलम्ब कर रही है तो वह उप-समिति से निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित करने या अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, प्रस्ताव पेश कर सकेगा और यदि एसा प्रस्ताव पास किया जाता है और उप-समिति नियत अवधि के भीतर आदेश पारित करने या सिफारिश करने में असफल रहती है तो समिति स्वतः ऐसे मामले के सम्बन्ध में आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगी।

22. इन उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान आपात के मामलों में यह निदेश दे सकेगा कि कोई विषय सीधे समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा यदि उसे पहले उस उप-समिति को इसे प्रस्तुत करने के लिए समय नहीं है जिसको वह इन विधियों के उपबन्धों के अधीन मामूली तौर पर प्रस्तुत किया जाता ।

23. उप-समिति के किसी सदस्य को यदि वह बिना "युक्तियुक्त कारण" के उप-समिति के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो, उप-समिति से हटा दिया जायेगा । किसी सदस्य को समिति के संकल्प द्वारा भी हटाया जा सकेगा । युक्ति युक्त कारण अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदन द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

अभिलेखों का प्रदाय

1. अधिसूचित क्षेत्र समिति के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए विहित फीस के संदाय पर किया जायेगा :—

प्रत्येक व्यक्ति, निम्नलिखित की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा:—

(क) समिति के सभी संकल्प ।
(ख) जन्म और मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां।
(ग) भवनों के रेखांक ।
(घ) सभी पट्टे, संविदाएं आदि, जिसका प्रभार नीचे पैरा संख्या 7 में उत्कथित दर पर किया जायेगा।

2. लिखित मांग के मामले में समिति के सदस्यों के संकल्पों और कार्यवाहियों की प्रतियों का प्रदाय खर्चा दिए बिना किया जायेगा ।

3. अधिसूचित क्षेत्र समिति का सेवक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पारित सभी अन्तिम आदेशों की प्रतियां जिससे वह सम्बन्धित है खर्चा किए बिना प्राप्त करने का हकदार होगा ।

4. उनके सिवाय जो ऊपर वर्णित है, समिति के अन्य अभिलेखों की प्रतियां मामूली तौर पर यथास्थिति, प्रधान या अधिसूचित क्षेत्र समिति की अनुज्ञा से ही दी जायेगी, अन्यथा नहीं।

5. विभागाध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि प्रतियां बनाने के लिए कौन से कर्मचारी तैनात किए जायेंगे।

6. सभी प्रतियां समिति के सचिव द्वारा प्रमाणित की जायेंगी।

7. पट्टे करार आदि की प्रतियों के प्रदाय और टंकित करने की फीसें निम्नलिखित होंगी:—

(क) समिति द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि या भवनों के सम्बन्ध में पट्टे और करार टंकन करने या प्रतिलिपियां बनाने के लिए फीस प्रति दस्तावेज तीन रुपया होगी ।
(ख) नक्शों और रेखांक के लिए प्रयोग किए गए ट्रेसिंग पेपर के प्रति 0.5 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए फीस 20 रुपये होगी । फिर भी यदि सचिव यह समझे कि कार्य श्रम को ध्यान में रखते हुए विशेष फीस प्रभारित की जायेगी तो वह प्रति 0.5 वर्गमीटर के लिए 50 रुपय से अनधिक विशेष दर नियत करेगा ।
(ग) अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की फीस निम्न प्रकार से होगी:—
प्रथम 200 शब्द, अंग्रेजी 2 रुपया; देशी भाषा 1 रुपया या उसके भाग के लिए (प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्दों) अंग्रेजी 1 रुपया; देशी भाषा 50 पसे ।
(घ) अर्जेंट फीस मामूली दर से डेढ़ गुणा होगी।
मांगी गई प्रतियां दो कार्य दिवसों के भीतर दी जायेंगी।
(ङ) ऐसे किसी अभिलेख के लिए जिस की आसानी छानबीन करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है, छानबीन फीस 2 रुपये।
(च) वास्तव में उपगत डाक और अन्य व्ययों के लिए अतिरिक्त फीस प्रतिलिपियों को भेजने के लिए खर्च की गई राशि।

8. (क), (ख) और (ग) के मामले में इन फीसों का 15 प्रतिशत प्रतिलिपियों के लिए तैनात व्यक्ति को संदत किया जायेगा । 75 प्रतिशत अभिलेख फीस और लेखन सामग्री आदि की फीस के रूप में अधिसूचित क्षेत्र समिति की निधि में जमा किया जायगा, 10 प्रतिशत सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करने वाले व्यक्ति को

संदत्त किया जायेगा। (घ), (ङ) और (च) के मामले में पूरी फीस अधिसूचित क्षेत्र समिति की निधि में जमा की जायेगी ।

9. विभागाध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि कोई व्यक्ति इन निर्देशों के अधीन किसी अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का हकदार है और लिखित कारणों से विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऊपर विनिर्दिष्ट अभिलेख से भिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थी को दी जा सकेंगी ।

टिप्पणी:—ऐसे मामलों में जिनके विवाद को स्पष्ट करने के लिए रेखांकन अधिसूचित क्षेत्र समिति के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो, प्रतियां उस प्रभार से कम पर नहीं दी जायेंगी जो उस समय प्रभावित होता यदि रेखांक प्रार्थी के अनुरोध पर तैयार किया गया मूल भवन रेखांक होता ।

10. उन अभिलेखों की प्रतियां, जिनमें अधिसूचित क्षेत्र समिति हितबद्ध है, नहीं दी जायेगी और प्रधान को प्रतियां देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्रधान के कर्तव्य और शक्तियां

उसे समनुदेशित अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रधान के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियां होंगी :—

1. अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता करना और अधिसूचित क्षेत्र समिति नित्य प्रति के कार्यपालक प्रशासन के लिए प्रारम्भिक रूप से उत्तरदायी होना।

2. नीति, वित्तीय संव्यवहार और स्थावर सम्पत्ति आदि से सम्बन्धित सभी कागजों पर हस्ताक्षर करना।

3. अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से ऐसी संविदा करना, जिसकी व्यैक्तिक खर्चा 500/- रुपये से अधिक न हो ।

4. बजट के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 1000 रुपये तक के प्राक्कलनों की स्वीकृति देना।

5. अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिवेशनों की कार्यसूची को अनुमोदित करना।

6. प्रत्येक मामले में 50 रुपये तक की संविदा राशि की माफी को मंजूर करना।

7. बजट के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मामले में 200/- रुपये तक के आकसमिक व्यय को मंजूर करना ।

8. समिति के आगामी अधिवेशन में पुष्टिकरण के अधीन रहते हुए, किसी मंजूर किए गए प्रोग्राम में सम्मिलित न किए गए वास्तविक आपात की किसी मद पर 400/- रुपये के आपातिक व्यय को मन्जूर करना।

9. समिति के मासिक और वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करना।

10. यात्रा भत्ता बिलों के संदाय को मन्जूर करना ।

11. अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा देय बिलों के संदाय आदेशों पर हस्ताक्षर करना ।

12. प्रतिभूति या अग्रिम धन का प्रतिदाय करना ।

13. अभिदाता को भविष्य निधि नियमों के अनुसार भविष्य निधि अग्रिम का अनुदान करना ।

14. अधिसूचित क्षेत्र समिति के विनिश्चय के अनुसार बचत बैंक में जमा राशि से प्रत्याहरण के आदेशों पर हस्ताक्षर करना ।

15. समिति द्वारा या उस के विरुद्ध संस्थित सभी सिविल वादों, अपीलों या कार्यवाहियों में समिति के समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होना और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के किसी अधिकारी को अपने हस्ताक्षरों के अधीन नियुक्त करना और वह अधिसूचित क्षेत्र समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित फीस पर विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकेगा ।

16. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 244 के अधीन प्रधान, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध यह प्रवितयुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने अधिनियम या नियमों या उप-विधियों के विरुद्ध कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के प्रशामन के रूप में युवितयुक्त धन राशि स्वीकार करने के लिए असक्त होगा ।

प्रधान, अधिसूचित क्षेत्र समिति मैहतपुर बसदेहड़ा को, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 के अधीन नीचे लिखित धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है :—

धारायें

38. तृतीय वर्ग कर्मचारियों के समबन्ध में, अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियां।

72. उप-विधि के अधीन रहते हुए अनधिकोगाधी स्थावर सम्पति पर कर माफी को मन्जूर करना।

75. मूल्यांकन या कराधान के प्रयोजन के लिए प्रवेश की शक्ति।

77. जहां चुंगी अथवा सीमा कर उदग्रहणीय हो वहां तलाशी लेने की शक्ति।

123. किसी कारखाने या अन्य स्थान में वाष्प विटी के उपयोग की अनुज्ञा देने की शक्ति।

168. घर की सफाई का उचित प्रबन्ध करने में असफल रहने पर कृष्कों को दण्ड देने के सम्बन्ध में शक्ति।

224. अधिकृत मात्रा से अधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों के लिए तलाशी लेने की शक्ति।

235. अनुपालन की दशा में समिति की शक्ति।

अधिसूचित क्षेत्र समिति, मैहतपुर-बसदेहड़ा के सचिव के कर्तव्य और शक्तियां

1. सचिव, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सपूर्ण स्थापन पर साधारण नियंत्रण रखेगा ।

2. वह कार्यालय के संपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा और कार्यालय स्थापन पर सीधा नियन्त्रण रखेगा।

3. सभी महत्वपूर्ण कागजातों की, टिप्पणियों और निर्देशों के साथ प्रधान और प्रधान की अनुपस्थिति में उप-प्रधान के समक्ष रखना।

4. प्रत्येक अधिवेशन की कार्यसूची तैयार करना और कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत्त का अभिलेख रखना ।

5. अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा पारित सभी आदेशों पर आवश्यक कार्यवाही करना ।

6. इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए कि बजट में निधि विद्यमान है 50 रुपये के विस्तार तक अनावर्ती प्रकार का व्यय उपगत करना ।

7. 100/- रुपये की सीमा तक समिति की जंगम सम्पत्ति को बिक्री को मंजूर करना ।

8. सभी अधीनस्थ स्थापन को देय यात्रा-भत्ते का संवितरण और प्रधान द्वारा पारित सभी विभागाध्यक्षों के बिल का संवितरण ।

9. वहां के सिवाय, जहां ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी अन्य अधिकारी को किया गया है, सभी मन्जूर स्थापना के वेतन सभी मंजूर सहायता अनुदान और बजट के उपबन्धों के भीतर आंकिस्मकता व्यय की सभी राशि का संवितरण करना ।

10. कोड के नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

11. वह दैनिक शीट और रोकड़ बही की प्रतिदिन जांच करेगा और उन्हें अध्यक्षरित करेगा और आकस्मिकता रजिस्टरों को सभी प्रविष्टियों को अध्यक्षरित करेगा और अधिसूचित क्षेत्र समिति के लेखाओं और रजिस्टरों को अद्यतन सही और स्पष्ट रूप से रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

12. समिति के काउंसल का उन वादों, अपीलों या अन्य कार्यवाहियों की समिति की ओर से विधिक न्यायालय में संस्थित करने, प्रतिरक्षा करने और संचालित करने के लिए जिनको न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने का समिति ने विनिश्चय किया हो, अपेक्षित प्राधिकार देना और हस्ताक्षरित करना ।

13. अधिवेशन की नोटिसों और अधिनियम की धारा 219 के अधीन जारी की गई नोटिसों को भी हस्ताक्षरित करना ।

14. तीन लगातार अधिवेशनों में सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में रिपोर्ट देना ।

15. जन कल्याण के सुझाव देना ।

16. अधिसूचित क्षेत्र समिति के आय के साधनों और नगर के व्यापार के विकास के लिए सुझाव देना।

17. अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों की आकस्मिक अवकाश और मास तक का अर्जित अवकाश देना ।

18. सामान्य मुद्रा सचिव के प्रभार में होगी जो सभी मुख्त्यारनामा विलेखों, संविदाओं और समिति द्वारा जारी या अनुदत्त अन्य महत्वपूर्ण लिखतों पर लगाई जाएगी ।

19. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1968 की धारा 244 के अधीन सचिव, किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो कि उसने अधिनियम या नियमों या उप-विधियों के विरुद्ध कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के प्रशमन के रुप में युक्तियुक्त धन राशि स्वीकार करने के लिए सशक्त होगा ।

सचिव, अधिसूचित क्षेत्र समिति को, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 32 के अधीन नीचे लिखित धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है :—

धारायें

106. (1) पागल तथा आवारा कुत्तों व अन्य पशुओं का निपटारा करना ।
107. पीड़ित कुत्तों का भगोड़ा होना ।
111. केवल भवनों को गिराने के अतिरिक्त खतरनाक स्थिति में भवन आदि ।
112. गन्दे भवनों या भूमि की सफाई ।
113. पशुघरों को पक्का करना व नालियां बनाना ।
115. स्वामियों से हानिकारक पेड़ पौधों की सफाई करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
116. वृक्षों और झाड़ियों की टहनियां कटवाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
117. खाली भवनों को जो उतपात बन रही हो सुरक्षित करवाने या बाड़ लगवाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
121. अनुज्ञप्त परिसारों के सिवाय, चलचित्रों और नाट्य प्रदर्शनों को प्रदर्शन का प्रतिशोध ।
125. नालियों, शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुड़ों की मुरम्मत और बन्द किया जाना ।
126. नालियों आदि पर अनुप्राधिकृत भवन ।
127. जल प्रदाय के किन्हीं स्त्रोतों के पास से शौचालय आदि का हटाया जाना ।
128. मल का निस्सारण ।

129. बिना किसी अधिकार के नाली बनाना या परिवर्तित करना ।
130. तालाबों या वैसी ही चीजों से उत्पन्न उताप को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
139. वर्षा के जल के लिए नालियां और पाईप ।
172. पेड़ काटने, भवन गिराने या निर्माण करने के दौरान मार्ग के संरक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति ।
173. (1)(2) मार्ग बनाने से पहल सूचना देना और मंजूरी प्राप्त करना ।
180. (2) मार्गों पर स्थावर अधिक्रमण के लिए या लटकती संरचना के लिए दण्ड ।
208. भवन निर्माण संक्रिया को बन्द कराने की समिति की शक्ति ।
218. भवनों आदि का निरीक्षण ।
219. भवनों या भूमि पर प्रवेश करने की अन्य शक्तियां ।
220. खाद्य या पेय की वस्तुओं के विक्रय के स्थानों का निरीक्षण करने और बिक्री के लिए रखी गई अस्वस्थ्य कर वस्तुओं को अभिगृहीत करने की शक्ति ।
221. बाट और माप का निरीक्षण और खोटे बाटों इत्यादि की अभिगृहीत किया जाना ।
222. पशुओं के अवैध वध के स्थानों का निरीक्षण करना ।
235. अनुपालन न करने की दशा में समिति की शक्ति ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 अप्रैल, 1985

संख्या 6-19/77-परिवहन-पी0 टी0.—मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यतिकारी करार का प्ररूप उक्त धारा के परन्तुक की अपेक्षानुसार राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश, तारीख 6-8-1984 में सम संख्यांक अधिसूचना तारीख 22-7-1984 के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और नियत अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुआ था ;

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच किए गए संलग्न व्यतिकारी के करार के प्ररूप को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
सचिव ।

सार्वजनिक वाहन के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच व्यतिकारी करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "हिमाचल प्रदेश सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती भी है) के बीच आज तारीख 12-2-1985 तदनुसार शक सम्वत 24 मार्च, 1906 को किया गया है ।

देश की तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों के प्रचालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, और उनके प्रचालन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों राज्यों के बीच व्यतिकारी करार किया जाए ;

और, इसके पक्षकार यह चाहते हैं कि इसमें आगे उप-वर्णित निबंधनों और शर्तों पर उनके बीच एक करार निष्पादित किया जाए ।

अतः यह विलेख साक्ष्य स्वरूप है और इसके पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं:—

1. मंजिल गाड़ियां:

(1) प्रत्यक राज्य की दूसरे राज्य क्षेत्र मंजिल गाड़ियों के प्रचालन का क्षत्र और यात्राओं की संख्या निम्नलिखित होगी:—

(क) उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की मंजिली गाड़ियों का प्रचालन क्षेत्र और यात्राओं की संख्या

	मार्ग का नाम	प्रतिदिन यात्राओं की संख्या	उत्तर प्रदेश में कि0 मी0
1.	शिमला-हरिद्वार बरास्ता नाहन से	1 वापसी यात्रा	246 कि0 मी0
2.	बैजनाथ-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	212 कि0 मी0
3.	हमीरपुर-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	212 कि0 मी0
4.	मनाली-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	212 कि0 मी0
5.	शिमला-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	212 कि0 मी0
6.	चम्बा-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	212 कि0 मी0
7.	सरकाघाट-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	246 कि0 मी0
8.	रोहड़ू-हरिद्वार बरास्ता नेरुआ-फिदास-शिलाई-पांवटा	1 " "	246 कि0 मी0
9.	शिमला-देहरादून बरास्ता नाहन	1 " "	100 कि0 मी0
10.	सुजानपुर-विकासनगर बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	32 कि0 मी0
11.	नालागढ़-हरिद्वार बरास्ता चण्डीगढ़-अम्बाला	1 " "	212 कि0 मी0
		कुल . .	2142 कि0 मी0

(ख) हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मंजिली गाड़ियों का प्रचालन क्षेत्र और यात्राओं की संख्या

	मार्ग का नाम	प्रतिदिन यात्राओं की संख्या	हिमाचल प्रदेश में कि0 मी0
1.	सहारनपुर-नाहन	5 वापसी यात्राएं	384 कि0 मी0
2.	देहरादून-पांवटा बरास्ता विकास नगर-डाक पत्थर	6 वापसी यात्राएं	6 कि0 मी0
3.	देहरादून-पांवटा	1 वापसी यात्रा	1 कि0 मी0
4.	देहरादून-नाहन	1 " "	96 कि0 मी0
5.	हरिद्वार-देहरादून-नाहन-शिमला	1 " "	382 कि0 मी0
6.	देहरादून-शिमला बरास्ता चण्डीगढ़	2 " "	360 कि0 मी0
7.	हरिद्वार-शिमला बरास्ता चण्डीगढ़	1 " "	180 कि0 मी0
8.	रुड़की-नाहन बरास्ता छतमलपुर-कलसिया-हरबर्टपुर	3 " "	288 कि0 मी0
9.	मुज्जफरनगर-नाहन बरास्ता देवबन्द-सहारनपुर	3 " "	288 कि0 मी0
10.	मेरठ-शिमला बरास्ता सहारनपुर-चण्डीगढ़	1 " "	180 कि0 मी0
		कुल . .	2165 कि0 मी0

(2) यतः उपरोक्त मार्ग पूर्णतः या अंशतः अधिसूचित किए गए हैं अतः इस करार के अधीन प्रत्येक राज्य के राज्य पथ परिवहन निगम को केवल मंजिली गाड़ियों के प्रचालन की अनुज्ञा दी जाएगी।

(3) उपर्युक्त सेवाओं के प्रचालन का अनुज्ञापन प्रत्येक राज्य के राज्य पथ परिवहन निगम के नाम में जारी किया जाएगा किसी विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए जारी नहीं किया जाएगा।

(4) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर उपर्युक्त सेवाओं के प्रचालन का पुनर्विलोक प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा।

(5) ऊपर वर्णित मार्गों पर यात्रा किराया, माल भाड़ा और यात्री कर, सम्बन्धित राज्य में समय समय पर विद्यमान दरों के अनुसार प्रभावित किया जाएगा। एक राज्य में जारी किए गए टिकट का प्ररूप दूसरे राज्य में वैध समझा जाएगा।

2. प्राइवेट वाहक :

वैसे प्राइवेट वाहक अनुज्ञापनों पर, जिस पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई है ऐसे अनुज्ञापनों की संख्या की बावत किसी निबन्धन के बिना, दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगें किन्तु ऐसे अनुज्ञापन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :–

(क) अनुज्ञापन विनिर्दिष्ट सीधे मार्ग के लिए जारी किया जाएगा और व्ययमिकारी राज्य में यान के प्रचालन का क्षेत्र अनुज्ञापन जारी करने वाले प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार होगा।

(ख) यान का उपयोग अनुज्ञापन में विनिर्दिष्ट माल के वहन के लिए और केवल अनुज्ञापन के धारक के साद्भाविक उपयोग के लिए किया जाएगा।

(ग) किसी भी समय व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यरूप से स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच कोई माल उठाया या उतारा नहीं जाएगा।

3. लोक वाहक (स्थायी अनुज्ञापन) :

(1) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच प्रचालन के लिए सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापनों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए 100 (एक सौ) होगी। क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक वाहकों को दूसरे राज्य में प्रचालन क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार होगा :–

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापन (जिन्हें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापन कहा जाएगा) हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन रहते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधिमान्य होगें।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापन केवल उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ और देहरादून क्षेत्रों में ही विधिमान्य होगे और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगें।

(ग) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापनों का कोटा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उसके और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के मध्य वितरित किया जाएगा ।

(घ) उपरोक्त रूप से हस्ताक्षरित के अधीन प्रचलित सार्वजनकि वाहकों का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र में अनन्य रूप से स्थित किन्हीं दो स्थानों के मध्य माल को चढ़ाने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा।

4. मोटर गाड़ी (टैक्सी) के स्थायी अनुज्ञापत्र :

प्रत्येक राज्य द्वारा टैक्सी के 25 (पच्चीस) अनुज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। अनुज्ञापन पर अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकरण की सिफारिश पर व्यतिकारी राज्य में मोटर गाड़ियों (टैक्सियों) का प्रचालन क्षेत्र निम्नलिखित रूप से होगा :—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए मोटर गाड़ियों (टैक्सियों) अनुज्ञापत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधिमान्य होगा।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये मोटरगाड़ी (टैक्सियों) के अनुज्ञापत्र उत्तर प्रदेश के केवल आगरा, मेरठ और देहरादून क्षेत्रों में ही विधिमान्य होगें।

(ग) प्रतिहस्ताक्षरित के अधीन प्रचलित मोटर गाड़ियों (टैक्सियों) का उपयोग व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में अनन्य रूप से स्थित किन्हीं दो स्थानों के मध्य यात्रियों को चढ़ान और उतारन के लिए नहीं किया जाएगा।

5. मंजिली गाड़ियों प्राइवेट वाहकों, सार्वजनिक और मोटर गाड़ियों (टैक्सियों) की बाबत अस्थाई अनुज्ञापत्र :

(1) प्रत्येक राज्य मोटरयान के सम्बन्ध में अस्थायी अनुज्ञापत्र में व्यतिकारी राज्य की पूर्व सहमति के बिना व्यतिकारी राज्य के ऐसे मार्ग या मार्गों पर जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट हों, एक वापसी यात्रा के लिए अधिकतम 14 (चौदह) दिनों की अवधि के लिए जारी कर सकेगा। किन्तु ऐसे अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(1) ये अनुज्ञापत्र द्विस्थानी कराधान के आधार पर जारी किये जाएंगे और व्यतिकारी राज्य में यात्रा के लिए कर व्यतिकारी राज्य में प्रवृत्त कराधान विधि के अनुसार इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में अधिकारित राशि से देय होगे।

(2) कोई भी माल या यात्री व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो स्थानों के मध्य चढ़ाये या उतारे नहीं जाएंगे।

(2) (क) जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थायी अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में देय कर, अर्थात मार्ग कर, माल कर और यात्री कर या कोई अन्य कर जो इसके पश्चात् उद्गृहीत किया जाए, केवल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के मुख्यालय, देहरादून पर संदेय उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त के नाम भारतीय स्टेट बैंक को लिखे गय बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे उस अस्थाई अनुज्ञापत्र की संख्या जिससे यह

सम्बन्धित है, वर्णित की जाएगी जिससे इसके दुरूपयोग या किसी अन्य अनुज्ञापत्र के विरुद्ध इसके उपयोग सम्भावनाओं से बचा जा सके। बैंक ड्राफ्ट की संख्या, तारीख और रकम अस्थाई अनुज्ञापत्र पर भी प्रविष्ट की जाएगी। बैंक ड्राफट चालक या यान के प्रभारी द्वारा राज्य की सीमा पर स्थापित सीमा चैक पोस्ट पर दिया जाएगा। यदि इस प्रकार दिये जा रहे कर की राशि में कोई कमी है तो यह सीमा चैक पोस्ट में निर्धारित और वसूल किया जाएगा जिसके लिए विहित प्ररूप में आवश्यक रसीद तुरन्त दी जाएगी।

(2) (ख) जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, हिमाचल प्रदेश सरकार को देय कर उत्तर प्रदेश में अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा और सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला के नाम लिखे गये बैंक ड्राफट द्वारा उसे, अनुज्ञापत्र जारी करन के पश्चात दिनों के भीतर अनुज्ञापत्र की प्रति के सहित भेजा जाएगा।के पीछे अस्थायी अनुज्ञापत्र की संख्या वर्णित की जाएगी और बैंक ड्राफट की संख्या, तारीख और राशि अस्थायी अनुज्ञापत्र में भी प्रविष्ट की जाएगी।

(2) (ग) एक मासिक विवरण, जिसमें जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्रों का पूरा ब्योरा होगा बैंक ड्राफ्टों की संख्या, तारीख और रकम तथा ऐसी अन्य सूचनाओं जैसी व्यतिकारी राज्य द्वारा अपेक्षित हो, उदाहरणार्थ माल यान के मामले में भार योग या रजिस्ट्रीकरण लदान सहित भार और यात्री बसों के सम्बन्ध में बैठने के स्थान, सहित उत्तर प्रदेश सरकार क अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला को और हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा परिवहन आयुक्त (सैन्ट्रल पूल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्यक मास के अन्तिम दिन को भेजा जाएगा।

6. हिमाचल प्रदेश के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्र सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्र सचिव, क्षेत्रीय परिवहन, प्राधिकरण, शिमला द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

7. व्यतिकारी राज्यों में बसों की जांच पड़ताल :

प्रत्येक राज्य के यान को जब वे व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में प्रचलित किए जा रहे हों अन्य राज्य में निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी।

8. सामान्य:

(1) इसके पक्षकार एतद्द्वारा यह करार करते हैं कि वे इस करार के अनुसार यानों के प्रचालन के सम्बन्ध म सम्बन्धित राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन व्यतिकारी राज्य द्वारा जारी किए गए कर के टोकनों चालकों और प्रचालकों को अनुज्ञापत्रों सार्वजनिक सेवा मार्गों को चलान के प्राधिकार योग्यता प्रमाण पत्रों आदि आदि की मान्यता दग।

(2) यह करार उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस पर इसके पक्षकार आपस में लिखित रूप म सहमत हों और तब तक विधिमान्य होगा जब तक इसे इसके पक्षकारों के बीच नवीन करार द्वारा अधिक्रांत न कर दिया जाए या किसी ओर से छः मास की सूचना देने के पश्चात् विखण्डित न कर दिया जाए।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने पहले उपरलिखित तारीख और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

वी० पी० स्वाहनी,

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसके लिए
उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के सचिव।

अत्तर सिंह,
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उस के लिए
हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग
के सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No.* 6-19/77-TPT *Vol, II, dated* 19-4-1985 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution is hereby published for the general information of the public*]—

Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section 3-A of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939, a draft of the Reciprocal Agreement proposed to be entered into by the Uttar Pradesh and Himachal Pradesh, was published *vide* this Department notification of even number dated 22-7-1984 inviting objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby, as required by proviso to the aforesaid section, in H.P. Rajpatra (Extra-ordinary) dated 6-8-1984;

And whereas no objection/suggestion has been received from any person within the period specified for the purpose.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 3-B of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (Act No. 4 of 1939), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the draft of reciprocal agreement in the H. P. Rajpatra entered into by the Uttar Pradesh and Himachal Pradesh States.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary (*Transport*).

Reciprocal Agreement for publice carriers between the States of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh

This Agreement is made this 12th day of February, 1985 corresponding to Saka Samvat 24Magha 1906 between the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter referred to "as the Government of Himachal Pradesh", which expression shall include his successors in office) of the one part and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "The U.P. Government which expression shall include his successors in office) of the second part.

Whereas, in view of the rapid economic development of the country and with a view to encouraging movement of transport vehicles on inter-State routes between the States of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh, and to regulate and control their operation, it is necessary to enter into a reciprocal agreement between the two States;

And whereas, the parties hereto desire that an agreement on the terms and conditions set out hereinafter may be executed between them.

Now this deed witnesses and the parties hereto hereby agree as follows:—

1. *Stage Carriages.*—(1) The area of operation and number of trips of stage carriages of each State within the territory of other State will be as follows:—

(*a*) *Area of operation and number of trips of Stage carriages of Himachal Pradesh in Uttar Pradesh.*

	Name of the route	No. of trips per day	Km. in U.P.
1.	Shimla-Hardwar *via* Nahan	... 1 RT	246 km.
2.	Baijnath-Hardwar *via* Chandigarh	... 1 RT	212 km.
3.	Hamirpur-Hardwar *via* Chandigarh	... 1 RT	212 km.
4.	Manali-Hardwar *via* Chandigarh	... 1 RT	212 km.
5.	Shimla-Hardwar *via* Chandigarh	... 1 RT	212 km.
6.	Chamba-Hardwar *via* Ambala	... 1 RT	212 km.
7.	Sarkaghat-Hardwar *via* Chandigarh	... 1 RT	246 km.
8.	Rohru-Hardwar *via* Nerwa-Fiddas-Shillai-Paonta	... 1 RT	246 km.
9.	Shimla-Dehradun *via* Nahan	... 1 RT	100 km.
10.	Sujanpur-Vikasnagar *via* Chandigarh-Nahan	... 1 RT	32 km.
11.	Nalagarh-Hardwar *via* Chandigarh-Ambala	... 1 RT	212 km.
	Total	...	2142 km.

(*b*) *Area of operation and number of trips of stage carriages of Uttar Pradesh in Himachal Pradesh* :

	Name of the route	No. of trips	Km. in H.P.
1.	Saharanpur-Nahan	... 4 RT	384 km.
2.	Dehradun-Paonta *via* Vikasnagar-Dakpathar	... 6 RT	6 km.
3.	Dehradun-Paonta	... 1 RT	1 km.
4.	Dehradun-Nahan	... 1 RT	96 km.
5.	Hardwar-Dehradun-Nahan-Shimla	... 1 RT	382 km.
6.	Dehradun-Shimla *via* Chandigarh	... 2 RT	360 km.
7.	Hardwar-Shimla *via* Chandigarh	... 1 RT	180 km.
8.	Roorkee-Nahan *via* Chutmalpur-Kalsia-Herbertpur	... 3 RT	288 km.
9.	Muzaffarnagar-Nahan *via* Deoband-Saharanpur	... 3 RT	288 km.
10.	Meerut-Shimla *via* Deoband-Saharanpur-Chandigarh	... 1 RT	180 km.
	Total	...	2165 km.

Note.— "RT" means Return Trip.

(2) As the above routes are either wholly or partially notified, only the stage carriages of State Road Transport Corporation of each State will be allowed to operate under this agreement.

(3) The permits for operation of aforesaid services shall be issued in the name of State Road Transport Corporation of each State and not for specific vehicles.

(4) The operation of the aforesaid services on inter-State routes shall be reviewed every six months.

(5) Fare, freight and passenger tax on the above mentioned routes shall be charged according to rates prevalent from time to time in the respective State. The form of ticket issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

2. *Private Carriers.*—(1) Private carrier permits recommended for counter-signatures by the transport authorities of one State shall be countersigned by the transport authority of other State without restriction as to the number of such permits, but such permits shall be subject to the following conditions :—

(*a*) The permits shall be issued for specific direct routes and the area of operation of vehicle in the reciprocating State shall be in accordance with the recommendation of the permit issuing authority.
(*b*) The vehicle shall be used for the carriage of goods specified in the permit and for the bona fide use of the permit holder only.
(*c*) No goods shall at any time be picked up or set down between any two points lying exclusively within the territory of reciprocating State.

3. *Public Carriers (Substantive Permits)*—(1) The total number of public carrier permits to be operated between the States of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh shall be 100 (one hundred) for each State. The area of operation of public carriers of each State in the territory of the State shall be as under :—

(*a*) The public carrier permits issued by the Uttar Pradesh Government (called "U.P. Public Carrier Permit") shall be valid for whole of the territory of Himachal Pradesh State subject to counter signatures by the State Transport Authority in Himachal Pradesh.
(*b*) The public carrier permits issued by the Himachal Pradesh Government shall be valid only for Agra, Meerut and Dehradun Regions of Uttar Pradesh and shall be countersigned by the State Transport Authority, Uttar Pradesh.
(*c*) The quota of Uttar Pradesh public carrier permits shall be distributed by the State Transport Authority, Uttar Pradesh amongest itself and the various Regional Transport Authorities of Uttar Pradesh.
(*d*) The public carriers operating under countersignatures as aforesaid shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State.

4. *Moter Cab (Taxis) Substantive Permits.*—25 (twenty-five) permits of taxis may be issued by each State. The permits will be countersigned by the reciprocating State on the recommendation of the authority issuing the permit. The area of operation of the Motor Cabs (Taxis) in the reciprocating State shall be as under :—

(*a*) The motor cab permits issued by the Uttar Pradesh Government shall be valid for the whole of the territory of the State of Himachal Pradesh.
(*b*) The motor cab permits issued by the Himachal Pradesh Govermnent shall be valid only for Agra, Meerut and Dehradun regions of Uttar Pradesh State.
(*c*) The motor cab operating under countersignatures shall not be used for picking up or setting down passengers between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State.

5. *Temporary Permits in respect of State Carriages, Private Carriers, Public Carriers and Motor Cabs.*—(1) Each State may issue temporary permits in respect of motor vehicles for a period not exceeding 14 (fourteen) days for a single return trip for plying on the route/routes in the

reciprocating State as specified in the permit without prior concurrence of the reciprocating State but such permits shall be subject to the following conditions:—

(*i*) These permits will be issued on the basis of double point taxation and taxes for the journey in the reciprocating State shall be payble in accordance with the taxation laws in force in the reciprocating State in the manner laid down in sub-clause (2) to this clause.

(*ii*) No goods or passengers hsall be picked up or set down between any two points lying wholly within the territory of the reciprocating State.

(2) (*a*) So far as Uttar Pradesh is concerned the taxes, namely, the road tax, goods tax and passenger tax or any other tax which may be levied hereafter, payable to Uttar Pradesh Government in respect of temporary permits shall be paid by bank draft drawn on the State Bank of India in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at the headquarters of the Regional Transport Officer, Dehradun. On the back of the bank draft the temporary permit number to which it relates shall be mentioned to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. The number, date and amount of the bank draft shall also be entered on the temporary permit. The bank draft shall be handed over by the driver or person in charge of the vehicle at the border check-post established on the State border. In case there in any deficiency in the amount of the tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at the border check-post for which necessary receipt in the prescribed form shall be issued forthwith.

(2) (*b*) So far as Himachal Pradesh is concerned, the taxes payable to the Government of Himachal Pradesh shall be realised and sent by the permit issuing authorities in Uttar Pradesh by bank draft drawn in the name of Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla and sent to him within————days after the issue of the permit along with a copy of the permit. On the back of the bank draft the temporary permit number shall be mentioned and the number, date and amount of the bank draft shall also be entered on the temporary permit.

(2) (*c*) A monthly statement containing full details of the temporary permits issued together with the number, date and amount of bank drafts and other information as may be required by the reciprocating State e.g. pay load (or Registeted Laiden Weight) in case of goods vehicles and seating capacity in case of passenger buses shall be sent by the last day of each month by the permit issuing authorities of Uttar Pradesh Government to the Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh Government, Shimla and by the permit issuing authorities of the Government of Himachal Pradesh to the Transport Commissioner (Central Pool), Uttar Pradesh, Lucknow.

6. The permits issued by Himachal Pradesh authorities will be countersigned by the Secretary, Regional Transport Authority, Dehradun and the permits issued by the Uttar Pradesh authorities will be countersigned by the Secretary, Regional Transport Authority, Shimla.

7. *Checking of buses in the reciprocating States.*—The vehicles of each State while operating in the territory of the reciprocating State will be checked by the checking staff of the other State.

8. *General* (1) The parties hereto hereby agree to recognise the tax tokens, driver's and Conductor's licences, authorisation to drive public service vehicles, certificate of fitness etc. issued by the reciprocating State under the relevant rules of the concerned State in respect of the vehicles plying in accordance with this agreement.

(2) This agreement shall come into force on such date as the parties hereto may mutually agree in writing and shall be valid unless superseded by a new agreement between the parties hereto or rescinded after issue of six months notice on either side.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the day and year first above written.

V. P. SAWHNEY,
Secretary to the Government
of U.P., Transport Department
for and on behalf of the
Governor of Uttar Pradesh.

ATTAR SINGH,
Secretary to the Government
of Himachal Pradesh, Transport
Department for and on behalf of
the Governor, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 मई, 1985/4 ज्येष्ठ, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (TRAINING) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171 002, *the* 3*rd May*, 1985

No. HIPA (ESTT)-241/84.—The Governor, Himachal Pradesh, on the basis of Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (History) in the Department of Personnel (Training), Himachal Pradesh Government and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to appoint on probation Dr. (Mrs.) Pamela Kanwar d/o Shri D. R. Nangia, Aberfoyle Cottage, Lakkar Bazar, Shimla-171 001 (Roll No. 1/3) as Associate Professor (History) in the pay scale of Rs. 1200—1900 (UGC Scale) Class-I (Gazetted)—in the Department of Personnel (Training) at Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fair Lawn, Shimla-171 012 from the date of her joining.

The officer shall be on probation for two years and shall draw the pay and allowances admissible under UGC scale from time to time.